निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 61/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. विकास कुमार पुत्र पूरणमल
2. ज्योति पारीक पुत्र पूरण मल

समस्त जाति पुरोहित ब्राह्मण, निवासी ग्राम फतेहपुरा बांसा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री दिलीप सिंह आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर।
2. रामचन्द्र पुत्र चौथमल
3. रामस्वरूप पुत्र चौथमल

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी फतेहपुरा बांसा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

4. राधेश्याम पुत्र घासीलाल, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू, जिला जयपुर।
6. उप–पंजीयक कार्यालय चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
7. जयपुर थार ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा चीथवाडी, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
8. उमाशंकर पुत्र स्व॰ श्री सुवालाल
9. विनोद पुत्र स्व॰ श्री सुवालाल
10. पूरणमल पुत्र स्व॰ श्री सुवालाल
11. गजानन्द पुत्र स्व॰ श्री सुवालाल
12. माली देवी पत्नी स्व॰ श्री सुवालाल
13. संतोष देवी पुत्री स्व॰ श्री सुवालाल
14. मंजू देवी पुत्री स्व॰ श्री सुवालाल
15. पुष्पा देवी पुत्री स्व॰ श्री सुवालाल

समस्त जाति पुरोहित ब्राह्मण, निवासी फतेहपुरा बांसा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 118/2022 ब–उनवानी विकास कुमार व अन्य बनाम रामचन्द्र व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री कैलाश बागडा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री दिनेश प्रजापति अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 से 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 07.07.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 118/2022 ब–उनवानी विकास कुमार व अन्य बनाम रामचन्द्र व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई । अप्रार्थी संख्या 2 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश प्रजापति ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेघाज्ञा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेघाज्ञा विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा इन्ट्रेस्ट लिया जाकर सुनवाई की जा रही है और पीठासीन अधिकारी विपक्षी पक्षकार के लाईजिनिंग में है और तारीख पेशीयों के दिन विपक्षी संख्या 2 व 3 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आकर ही बैठ जाते है तथा विपक्षी संख्या 2 व 3 ने पीठासीन अधिकारी से सांठ–गांठ कर रखी है। पीठासीन अधिकारी प्रार्थीगण के वाद को आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. में विपक्षी संख्या 2 व 3 से मिलीभगत होने के कारण खारिज करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 3 भाजपा ईकाई का अध्यक्ष है जो पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के निजी है जो उक्त पत्रावली को खारिज करवाने बाबत पीठासीन अधिकारी को फोन करवाता है तथा बार–बार न्यायालय में आकर कहता है कि यह मेरी वही फाईल है जिसको खारिज करने के लिये पूर्व विधायक साहब ने फोन किया है। इस प्रकार उक्त पत्रावली में पीठासीन अधिकारी को विपक्षीगण व पूर्व विधायक की अच्छी लाईजिनिंग के कारण विपरीत आदेश पारित करने पर आमादा है। पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में प्रार्थीगण को यह कहा गया कि उक्त मुकदमें में तुम्हारे अधिकारों के विरूद्ध आदेश करूंगा। जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में पीठासीन अधिकारी एव पक्षकार हितबद्व है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नही है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में अन्य राजस्व न्यायालय के यहां मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 से 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी चौमू को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर